रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशितद्
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1635] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2014/श्रावण 29, 1936
No. 1635] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2014/SHRAVANA 29, 1936

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2014

का.आ. 2086(अ).—केन्द्र सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम,1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि सदन द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2014 को अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन 18 जुलाई, 2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् निर्वाचित लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया जाता है।

1. श्री अश्विनी कुमार चौबे
2. श्री निम्माला कृस्टप्पा
3. श्री पी.सी. मोहन
4. श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर

[फा. सं. 25012/4/2014-रेशम]

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2014

S.O. 2086(E).— The Central Government hereby notifies that in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the following Members of Lok Sabha, having been duly elected by the House on 18th July, 2014 are appointed to serve as Members of the Central Silk Board for a period of three years with effect from 18th July, 2014, subject to the provisions of the Act:

1. Shri Ashwini Kumar Choubey
2. Shri Nimmala Kristappa
3. Shri P.C. Mohan
4. Smt. P.K. Sreemati Teacher

[F. No. 25012/4/2014-Silk]

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.